



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092022-239071
CG-DL-E-24092022-239071

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4319]
No. 4319]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 23, 2022/आश्विन 1, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 23, 2022/ ASVINA 1, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2022

का.आ. 4508(अ).—केन्द्रीय सरकार को पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 2136 दिनांक 12.05.2022, का.आ. 2251 (अ) दिनांक 17.05.2022 में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में, आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीकाकुलम जिला में श्रीकाकुलम से अंगुल पाइपलाइन (एसएपीएल) के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया हैं

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह संतुष्ट हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइनें बिछाने के लिए अपेक्षित हैं उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया हैं;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

श्रीकाकुलम -अंगुल पाइपलाइन (एसएपीएल) परियोजना					
भूमि अनुसूची					
जिला-श्रीकाकुलम		राज्य : आंध्र प्रदेश			
मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं०	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आरे	वर्ग मीटर
पलासा	लोथुरु	58/2	00	20	52
		58/1	00	30	29
		56	00	53	76
		51	00	18	58
		50	00	14	83
		49/12	00	0	1
पलासा	गोपीवल्लभापुरम	74/1C	00	3	68
		74/2	00	5	27
		73/1B	00	4	24
		73/3	00	2	61
		73/4	00	2	86
		73/6	00	0	69
		73/5	00	0	85
		73/21	00	4	82
		73/22	00	0	72
		73/20	00	0	52
		73/14	00	1	10
		73/16	00	2	21
		73/13B	00	0	67
		73/15A	00	0	78
		73/15B	00	0	69
		73/15C	00	0	7
		80/1C	00	0	4
		80/1A	00	2	64
		80/1B	00	2	4

		55	00	3	12
		80/3A	00	2	69
		80/3B1	00	16	86
		80/5	00	0	1
		54/1	00	6	61
		54/2	00	6	44
		54/3	00	2	95
		54/4	00	0	29
		81	00	14	32
		54/6	00	0	15
		53/1C3	00	1	56
		53/4B	00	3	47
		53/6B3	00	3	58
		53/5	00	2	36

श्रीकाकुलम -अंगुल पाइपलाइन (एसएपीएल) परियोजना					
भूमि अनुसूची					
जिला-श्रीकाकुलम		राज्य : आंध्र प्रदेश			
मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आरे	वर्ग मीटर
		53/17	00	2	7
		53/16	00	2	21
		53/19	00	3	90
		53/18	00	2	39
		53/20	00	3	88
		52/10	00	0	11
		52/3	00	4	75
		52/4	00	0	55
		52/6	00	3	11
		52/5	00	3	4
		52/9	00	1	38
		52/8	00	7	85
		85/4	00	0	41
		51	00	1	55
		50/1	00	1	31
		50/2	00	3	42
		50/7A1	00	9	96

		50/7A3	00	0	86
		50/7A2	00	8	59
		50/7B	00	0	81
		51	00	0	84
		48/11	00	4	28
		48/12	00	0	78
		48/13	00	5	16
		48/14	00	11	60
		49/2C	00	5	1
		49/4	00	0	65
पलासा	टेककालीपट्टनम	75	00	73	21
		86/1	00	3	20
		86/3	00	1	58
		86/2	00	5	63

श्रीकाकुलम -अंगुल पाइपलाइन (एसएपीएल) परियोजना					
भूमि अनुसूची					
जिला-श्रीकाकुलम		राज्य : आंध्र प्रदेश			
मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं०	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आरे	वर्ग मीटर
		86/4	00	0	97
		81/1A	00	0	3
		81/1B	00	15	37
		81/2	00	2	86
		81/3	00	3	70
		81/1C	00	4	34
		81/5	00	2	95
		88/5	00	13	83
		88/4A	00	0	1
		88/6	00	7	17
		92/5	00	6	36
		92/4	00	8	58
		92/6A	00	9	66
		92/6B	00	1	39
		93/1C	00	11	89
		93/8	00	0	2
		93/7	00	6	65

		93/6	00	3	83
		93/12	00	3	34
		94	00	9	91
पलासा	मोडुगुलापुट्टी	26	00	4	69
		27/1	00	2	59

[फा. सं. एल-14014/197/2022-जी पी-II(ई-44470)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2022

S.O. 4508(E).—Whereas by Notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 2136 dated.12.05.2022. Notified in the Extraordinary Gazette of India S.O. No. 2251 dated.17.05.2022. issued under sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipe Lines (Acquisition of Right Of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act, Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the Lands specified in the Schedule appended to that Notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through SRIKAKULAM TO ANGUL pipeline (SAPL) Project, Srikakulam District in the State of Andhra Pradesh by the GAIL (India) Ltd;

And whereas copies of the said Gazette Notification were made available to the public;

And whereas the objections received from the public to the laying of gas pipeline have been considered and disposed of by the Competent Authority;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (i) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government of India;

And whereas Government of India, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, Therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section (i) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the said lands specified in the Schedules appended to this Notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further in exercise of power conferred by Sub-Section (4) of the Section 6 of the said act, Government of India here by directs that the Right of User in the said lands for laying the pipe line shall instead of vesting in the Government of India vest, on the date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

SRIKAKULAM – ANGUL PIPELINE (SAPL)PROJECT					
LAND SCHEDULE					
District-Srikakulam		State : Andhra Pradesh			
Name of Mandal	Name of Village	Survey no.	Area		
			Hector	Are.	Sq.mtr.
Palasa	Lothuru	58/2	00	20	52
		58/1	00	30	29
		56	00	53	76
		51	00	18	58
		50	00	14	83
		49/12	00	0	1
		74/1C	00	3	68
Palasa	Gopivallabhapuram	74/2	00	5	27
		73/1B	00	4	24
		73/3	00	2	61
		73/4	00	2	86
		73/6	00	0	69
		73/5	00	0	85
		73/21	00	4	82

	73/22	00	0	72
	73/20	00	0	52
	73/14	00	1	10
	73/16	00	2	21
	73/13B	00	0	67
	73/15A	00	0	78
	73/15B	00	0	69
	73/15C	00	0	7
	80/1C	00	0	4
	80/1A	00	2	64
	80/1B	00	2	4
	55	00	3	12
	80/3A	00	2	69
	80/3B1	00	16	86
	80/5	00	0	1
	54/1	00	6	61
	54/2	00	6	44
	54/3	00	2	95
	54/4	00	0	29
	81	00	14	32
	54/6	00	0	15
	53/1C3	00	1	56
	53/4B	00	3	47
	53/6B3	00	3	58
	53/5	00	2	36

SRIKAKULAM – ANGUL PIPELINE (SAPL)PROJECT					
LAND SCHEDULE					
District-Srikakulam		State : Andhra Pradesh			
Name of Mandal	Name of Village	Survey no.	Area		
			Hector	Are.	Sq.mtr.
		53/17	00	2	7
		53/16	00	2	21
		53/19	00	3	90
		53/18	00	2	39
		53/20	00	3	88
		52/10	00	0	11
		52/3	00	4	75
		52/4	00	0	55
		52/6	00	3	11
		52/5	00	3	4
		52/9	00	1	38
		52/8	00	7	85
		85/4	00	0	41
		51	00	1	55
		50/1	00	1	31
		50/2	00	3	42
		50/7A1	00	9	96
		50/7A3	00	0	86
		50/7A2	00	8	59
		50/7B	00	0	81
		51	00	0	84
		48/11	00	4	28
		48/12	00	0	78
		48/13	00	5	16
		48/14	00	11	60
		49/2C	00	5	1
		49/4	00	0	65
Palasa	Tekkalipatnam	75	00	73	21

	86/1	00	3	20
	86/3	00	1	58
	86/2	00	5	63

SRIKAKULAM – ANGUL PIPELINE (SAPL)PROJECT					
LAND SCHEDULE					
District-Srikakulam			State : Andhra Pradesh		
Name of Mandal	Name of Village	Survey no.	Area		
			Hector	Are.	Sq.mtr.
		86/4	00	0	97
		81/1A	00	0	3
		81/1B	00	15	37
		81/2	00	2	86
		81/3	00	3	70
		81/1C	00	4	34
		81/5	00	2	95
		88/5	00	13	83
		88/4A	00	0	1
		88/6	00	7	17
		92/5	00	6	36
		92/4	00	8	58
		92/6A	00	9	66
		92/6B	00	1	39
		93/1C	00	11	89
		93/8	00	0	2
		93/7	00	6	65
		93/6	00	3	83
		93/12	00	3	34
		94	00	9	91
Palasa	Modugulaputti	26	00	4	69
		27/1	00	2	59

[F. No. L-14014/197/2022-GP-II(E-44470)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.